12 6/18

वादी अभिभाषक के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अं.धा. 152 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि निर्णय दिनांक 30.5.18 में विवाद हेतु आराजी ख.नं. 818 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा का उल्लेख नहीं किया है। जबकि ख.नं. 818 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा में से 20/8 भाग आगे 20 बिस्वा का बैनामा प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 6 व 7 को किया गया है चूंकि प्रतिवादी सं. 1 का उक्त ख.नं. 818 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा में 4/9 भाग है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 की 36 बिस्वा भूमि है बैनामा के बाद शेष भूमि 0-16 बिस्वा में से वादिया को 4/8 भाग (चार/आठवां) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार रजस्व रिकार्ड में दाखिल खारिज हो। विवादित आराजी वाले ग्राम लालपुर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर)

Scanned by CamScanner